



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267471
CG-DL-E-08112025-267471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733।

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 733।

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 819(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 417(अ), तारीख 25 जून, 2025 और संख्या सा.का.नि. 485, तारीख 18 जुलाई, 2025 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को क्रमशः 26 जून, 2025 और 21 जुलाई, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (घ) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 में, उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(2घ) हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले यानों के मामले में, रजिस्ट्रीकरण चिह्न निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाएगा:-

हाइड्रोजन ईंधन वाले यानों के लिए उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की रंग स्कीम	
सभी श्रेणियों के यानों के लिए रंग सफेद है	परिवहन यानों और अन्य के लिए रंग हरा है और टैक्सी प्लेट आकार की चौड़ाई का 1/2 + 1 सीएमवीआर किराए पर लेने वालों के लिए काला है 50 के अनुसार
सभी श्रेणियों के यानों का रंग नीला है	प्लेट आकार की चौड़ाई का 1/2 + 1 सीएमवीआर 50 के अनुसार
प्लेट आकार की लंबाई सीएमवीआर 50 के अनुसार है	
500x120 और 340x200 की प्लेट साइज के लिए 50±2	परिवहन यानों के लिए अक्षर और अंक पीले और अन्य यानों के लिए सफेद होंगे। रंग विनिर्देश एआईएस 159 के अनुसार होगा। नोट: सभी आयाम मिमी में हैं।
200x100 और 285x45 की प्लेट साइज के लिए 40±2	

3. उक्त नियमों के नियम 125ज में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 अक्टूबर, 2026 को या उसके पश्चात्, श्रेणी एन2 और श्रेणी एन3 के कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न सभी दुलाई ट्रैक्टरों को निर्माता या उनके डीलर या संबंधित ऑपरेटर द्वारा, यथास्थिति, एआईएस-140:2016 या भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित संबंधित बीआईएस विनिर्देशों के अनुरूप यान स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (बीएलटीडी) के साथ फिट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए ,-

(क) "श्रेणी एन2" से माल की दुलाई के लिए प्रयुक्त मोटर यान अभिप्रेत है, जिसका अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक किन्तु 12 टन से अनधिक है ;

(ख) "श्रेणी एन3" से माल की दुलाई के लिए प्रयुक्त मोटर यान अभिप्रेत है, जिसका अधिकतम भार 12 टन से अधिक है ;

(5) बीएलटीडी को आईएस 16722:2018 के अनुरूप आरएफआईडी ट्रांसीवर के साथ एकीकृत किया जाएगा जो युग्मित ट्रेलर से आरएफआईडी डेटा को पढ़ने और इसे बैकएंड तक प्रेषित करने में सक्षम होगा।

(6) श्रेणी टी3 और श्रेणी टी4 के सभी ट्रेलरों को समय-समय पर संशोधित आईएस 16722:2018 के अनुसार निष्क्रिय आरएफआईडी ट्रैग के साथ फिट किया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक पहचान और ट्रैक्टरों के साथ युग्मन सक्षम हो सके।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए ,-

(क) "श्रेणी टी3" से वह श्रेणी टी यान अभिप्रेत है जिसका अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक किन्तु 10 टन से अनधिक है ;

(ख) "श्रेणी टी4" से वह श्रेणी टी यान अभिप्रेत है जिसका अधिकतम भार 10 टन से अधिक है ;

(7) 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात्, कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न, एन 2 और एन 3 श्रेणी के सभी दुलाई ट्रैक्टरों में, समय-समय पर संशोधित एआईएस-220 के अनुसार, महत्वपूर्ण यान डेटा को कैप्चर और संग्रहीत करने के लिए एक इवेंट डेटा रिकॉर्डर (ईडीआर) लगा होगा। यह ईडीआर परिचालन संबंधी घटनाओं का विश्लेषण करने और सुरक्षा मानीटरी बढ़ाने के लिए आवश्यक मापदंडों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 125व के उपनियम (2) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु 1 अक्तूबर, 2026 को और उसके पश्चात्, सभी ट्रेलरों को समय-समय पर संशोधित आईएस 9895:2004/आईएसओ 12098:2020 के अनुसार उपयुक्त नाममात्र आपूर्ति वोल्टेज के साथ 13-पिन या 13-पोल या अधिक पिन कनेक्टर के साथ फिट किया जाएगा।

परंतु 1 अप्रैल, 2027 को और उसके पश्चात्, सभी दुलाई ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की यांत्रिक युग्मन प्रणाली (पांचवां पहिया) समय-समय पर संशोधित आईएस 8007 (भाग 1): 2024 और आईएस 8007 (भाग 2): 2023 के अनुरूप होगी।

[फा. सं. आरटी-11036/98/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 568(अ) तारीख 20 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

G.S.R. 819(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 417(E), dated the 25th June, 2025 and number G.S.R. 485, dated the 18th July, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Subsection (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 26th June, 2025 and 21st July, 2025 respectively;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 64 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in **rule 50, after sub-rule (A)**, following sub-rules shall be inserted, namely:—

(B) In case of hydrogen fuel-operated vehicles, the registration mark shall be exhibited as follows:-



3. in the said rules, in **rule 125H after sub-rule(3)**, the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(4) On or after 1st October, 2026, all haulage tractors, other than agricultural tractors, of category N2 and category N3, shall be fitted by the manufacturer or their dealer or the respective operator, as the case may be, with Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) compliant with AIS-140:2016 or the corresponding BIS specifications notified under Bureau of Indian Standards Act, 1986.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

- (a) “Category N2” means a motor vehicle used for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 12 tonnes;
- (b) “Category N3” means a motor vehicle used for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes;

(5) The VLTD shall be integrated with an RFID transceiver conforming to IS 16722:2018 capable of reading RFID data from the coupled trailer and transmitting it to the backend.

(6) All trailers of category T3 and category T4 shall be fitted with passive RFID tags in accordance with IS 16722:2018, as amended from time to time, to enable electronic identification and pairing with tractors.

Explanation.—For the purposes of this rule,—

- (a) “Category T3” means a category T vehicle having a maximum weight exceeding 3.5 tonnes but not exceeding 10 tonnes;
- (b) “Category T4” means a category T vehicle having a maximum weight exceeding 10 tonnes;

(7) On or after 1st April, 2027, all haulage tractors, other than agricultural tractors, of N2 and N3 category, shall be equipped with an Event Data Recorder (EDR) as per AIS-220 as amended from time to time to capture and store critical vehicle data. The EDR shall be capable of recording parameters necessary for analysing operational events and enhancing safety monitoring.”

4. In the said rules, in **rule 125D**, at the end of **sub-rule(2)** the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that on and after 1st October, 2026, all trailers shall be fitted with 13-pin or 13-pole or more pin connector with a suitable nominal supply voltage as per IS 9895:2004/ ISO 12098:2020 as amended from time to time.

Provided that on and after 1st April, 2027, the mechanical coupling system (fifth wheel) of all haulage tractors and trailers shall conform to IS 8007 (Part 1): 2024 and IS 8007 (Part 2): 2023 as amended from time to time."

[F. No. RT-11036/98/2025]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 568(E) dated the 20th August, 2025.